HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2007

No. CCP(NCR)/JJR(RTK/ACA-III)/ (A) 2007/1366.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within distance of eight kilometers around the municipal council Rohtak in the revenue estate of Bhambhewa, tahsil Jhajjar, district Jhajjar, as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be an additional controlled area-III for the purpose of said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of additional controlled area III around municipal council limits of Rohtak, in the revenue estate of village Bhambhewa (Hadbast No. 1), tahsil Jhajjar, district Jhajjar, to be read with drawing No.D.T.P.(JH)164/2006, dated the 10th February, 2006.

- North: Starting from point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle No. 19 of village Bhambhewa (Hadbast No.1), towards east along the northern boundary of rectangle No. 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25 of village Bhambhewa (Hadbast No. 1) upto point 'B' where it meets with eastern revenue boundary of village Bhambhewa (Hadbast No. 1).
 - East: Thence from point 'B' towards south along the eastern revenue boundary of village Bhambhewa (Hadbast No. 1) up to point 'C' i.e. south-east corner of rectangle No. 41 of village Bhambhewa (Hadbast No. 1).
 - South: Thence from point 'C' towards west along the southern boundary of rectangle No. 41, 40 and 39 of village Bhambhewa (Hadbast No. 1) up to abadi deh of village Bhambhewa (Hadbast No. 1), thence moving along the village abadi-deh of village Bhambhewa (Hadbast No. 1) in anti-clockwise direction up to the point where it meets the southern boundary of rectangle No. 38 of village Bhambhewa (Hadbast No. 1). Thence moving towards west along the southern boundary of rectangle No.38, 37, 36, 35 and 34 of village Bhambhewa (Hadbast No. 1) up to point 'D' where it meets western boundary of village Bhambhewa (Hadbast No. 1).
 - West: Thence from point 'D' towards north along western revenue boundary of village Bhambhewa (Hadbast No.1) up to the point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU.

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

ा है इन्हीं कासीरा**ए**

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/जे.जे.आर.(आर.टी.के./ए.सी.ए.-III)/(ए)2007/1366.---पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची मे यथाविनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए अनुसार नगर परिषद् रोहतक के इर्द-गिर्द आठ किलोमीटर की दूरी तक के भीतर गांव भम्भेवा, तहसील झज्जर, जिला झज्जर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र-III के रूप में योषित करते है, अर्थात्:

अनुसूची

गांव भम्मेवा (हदबस्त संख्या 1), तहसील झज्जर, जिला झज्जर के सम्पदा क्षेत्र में नगर परिषद, रोहतक की सीमाओं के इर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-III की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी.टी.पी.(जै०एच०)164/2006, दिनांक 10 फरवरी, 2006 के साथ पढ़ा जाये।

उत्तरः बिन्दु 'ए', जो कि गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आयत संख्या 19 का उत्तर-पश्चिम कोना है, से प्रारम्भ करते हुए पूर्व की तरफ गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आयत संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 24 तथा 25 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जहां यह गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की पूर्ण राजस्व सीमा से मिलती है।

पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव भग्मेवा (हदबस्त संख्या 1) की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव भम्मेवा (हदबरत संख्या 1) की आयत संख्या 41 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

विष्याः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पिश्चम की ओर गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आयत संख्या 41, 40 तथा 39 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आबादी देह तक, इसके बाद गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आबादी देह के साथ-साथ घड़ी की सुइयों की विपरीत वामावर्त दिशा में चलते हुए उस बिन्दु तक जहां यह गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आयत संख्या 38 की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इसके बाद पश्चिम की तरफ गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की आयत संख्या 38, 37, 36, 35 तथा 34 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक लहां यह गांव भम्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की पश्चिमी राजस्व सीमा से मिलती है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की तरफ गांव भन्भेवा (हदबस्त संख्या 1) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-सूथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

> शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।